



बिहार विधान सभा

अष्टादश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

कार्य सूची

21 जुलाई, 2026

11:00:00

1. प्रश्नोत्तर

- (1) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

2. ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

- (1) सर्वश्री संजय कुमार, प्रकाश चन्द्र एवं अन्य पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार एवं विकास विभाग की ओर से वक्तव्य। [योजना एवं विकास विभाग] की ओर से वक्तव्य।
- (2) सर्वश्री रुहेल रंजन, माँशरीक मृणाल एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य।

3. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

- (1) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
- (2) पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

4. बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना।

5. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

6. विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

(1) "बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026"

- (i) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (iii) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सम्राट चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

(2) "बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026"

- (i) वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (iii) वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

(3) "बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026"

- (i) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

- (ii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
- (iii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026" पर विचार हो ।
- (iv) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (निरसन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

(4) **"बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026"**

- (i) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
- (ii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
- (iii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो ।
- (iv) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

(5) **"बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026"**

- (i) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री निशांत प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
- (ii) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री निशांत उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
- (iii) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री निशांत प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो ।
- (iv) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री निशांत प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो ।

(6) **"बिहार नर्सिंग पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026"**

- (i) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री निशांत प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार नर्सिंग पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री निशांत उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (iii) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री निशांत प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार नर्सिंग पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री निशांत प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार नर्सिंग पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

(7) **"बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026"**

- (i) गन्ना उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार करेंगे कि "बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
- (ii) गन्ना उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (iii) गन्ना उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (iv) गन्ना उद्योग विभाग के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार प्रस्ताव करेंगे कि "बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।

7. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

पटना-800015
दिनांक: 20 जुलाई 2026

श्रीमती पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा